न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

अपील संख्या 504/2005

1. शिवचरण लाल } पुत्रान कमल किशन, कौम ब्राह्मण निवासी
2. ज्वाला प्रसाद } ग्राम मछरिया तहसील राजाखेडा

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. पवन
2. अरुण
3. टुण्डा
4. पप्पी

} पिसरान बंगाली प्रसाद, अकवाम ब्राह्मण निवासी ग्राम मछरिया, तहसील राजाखेडा, जिला धौलपुर

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर दिनांक 13-01-2005)

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितिः-
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता रैस्पो0

दिनांक- 23-05-2023

निर्णय

हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 112/2000 शीर्षक शिवचरन लाल रामश्री में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13-01-2005 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, धौलपुर मुख्यालय राजाखेडा के समक्ष एक वद बाबत् इश्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी स्थित ग्राम मछरिया, तहसील राजाखेडा खसरा नम्बर 568 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, 569 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 521 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा के खातेदार काश्तकार मु0 नारायनी थी, जिसका देहान्त करीब 35 साल पूर्व हो चुका है और तभी से प्रश्नगत आराजी पर वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करते आ रहे हैं तथा सम्वत् 2010 से 2017 तक राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात हैं। वादीगण के पिता कमलकिशन का देहान्त करीब 10 साल पूर्व होने के बाद उनका तमाम तरका वादीगण ने ही प्राप्त किया एवं प्रतिवादी संख्या1 के साथ सालिम 1/2 भाग पर काश्त

करते चले आ रहे हैं। दिनांक 20-8-1986 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को आराजी पर काश्त करने से रोकने एवं राजस्व रिकार्ड देखने पर मालुम हुआ कि बन्दोबस्त कर्मचारियों ने विवादित आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया है, एवं वादीगण के पिता का नाम हटा दिया है। जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस प्रकार दावा वादीगण डिक्री किया जा कर विवादित आराजी पर वादीगण को 1/2 भाग पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाये।

3- प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काबिज प्रतिवादी संख्या-1 राम श्री है। आराजी की पूर्व खातेदार मु0 नारायनी बेवा खले थी। मु0 नारायनी का पुत्र भीखा था, जिसका देहान्त नारायनी के जीवनकाल में ही हो गया और मु0 रामश्री भीका की पत्नी है। इसलिए रामश्री ही नारायनी की एक मात्र वारिस है। मु0 नारायनी ने विवादित आराजी वादीगण अथवा उनके पिता को काश्त पर कभी नहीं उठाई है। वादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादी के नाम इन्द्राजात कब्जे को देख कर किए गए हैं। दावा चलने योग्य नही है, खारिज किया जाये।

4- सहायक कलक्टर, धौलपुर मुख्यालय राजाखेडा ने निर्णय दिनांक 10-7-2000 पारित कर दावा वादी खारिज किया। अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 13-01-2005 के द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील को खारिज किया गया है। इस निर्णय के विरुद्ध ये अपील प्रस्तुत की है।

5- अपील दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया गया और उभय पक्ष की बहस समाहित की गई।

6- अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि वादीगण के पिता कमल किशन मु0 नारायणी के प्रथम श्रेणी के वारिस हैं एवं नारायणी की आराजी में कमल किशन का 1/2 हिस्सा बनता है। वादीगण ने अपने पक्ष में समर्थन में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-1 जमाबंदी सम्वत् 2010-13 प्रदर्श 2 जमाबंदी खतौनी सम्वत 2014-17, प्रदर्श 3 खसरा गिर्दावरी सम्वत् 2014 से 17, प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत् 2039-42, पद्रर्श 5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010-13, आदि दस्तावेज पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य में वादी शिवचरण लाल पी.ड.1, गुलाब सिंह पी,ड,2 के बयाल कलमबद्ध कराये। वादीगण के पिता कमल किशन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व ही 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे थे जिससे वे बाई आपरेशन आफ ला खातेदार हो गये। सहायक कलक्टर ने 5 तनकियां कायम कीं किन्तु केवल तनकी संख्या 1 पर ही निर्णय पारित किया और शेष तनकियों पर निर्णय पारित किये बिना ही दावा खारिज कर दिया। प्रत्येक तनकी की अलग अलग निर्णय देना चाहिए था। वादीगण के पिता जमाबंदी सम्वत् 2010-13 में दर्ज हैं किन्तु बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी आधार पर वादीगण के पिता का नाम इन्द्राज हटा दिया जब कि बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज हटाने का अधिकार नहीं है। सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 5 एवं विद्वान अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम

31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालयों भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा दिऐ गए निर्णय व डिक्री दिनांक 13-01-2005 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, धौलपुर मुख्यालय राजाखेडा के द्वारा दिए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 10-7-2000 को निरस्त किया जाये और अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाये।

7- प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का बहस में कहना है कि विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काबिज राम श्री है। पूर्व खातेदार मु0 नारायनी बेवा खलके थी। मु0 नारायनी का पुत्र भीखा था, जिसका देहान्त नारायनी के जीवनकाल में ही हो गया और मु0 रामश्री भीका की पत्नी है। इसलिए रामश्री ही नारायनी की एक मात्र वारिस है। मु0 नारायनी ने विवादित आराजी वादीगण अथवा उनके पिता को काश्त पर कभी नहीं उठाई है। वादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया कि इनके द्वारा आराजी को शिकमी काश्त पर कब लिया गया। प्रतिकूल कब्जे की बात इनके दावे में नहीं है। वादीगण के बयान भी शिकमी की बात नहीं कहते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 में विधवा की जमीन पर खातेदारी अधिकार किसी को नहीं मिलते हैं। काश्तकारी अधिनियम से पूर्व धौलपुर रैवेन्यू कोर्ट सैक्शन 6 भी आर0टी0एक्ट सैक्शन 46 के समान ही है। अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तार से निर्णय दिये हैं। अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहती है।

8- हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढा।

9- वादी/अपीलार्थीगण द्वारा दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, 569 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने हेतु पेश किया है और कथन किया है कि वह बहैसियत शिकमी काश्तकार वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या-1/रैस्पो0 दर्ज हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर निर्णय करते हुये विधवा की जमीन पर शिकमी व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकने के कारण ही और वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अपने पिता से अपने आप को 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार सिद्ध करने में असफल रहने पर वाद खारिज किया गया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2010-13 प्रदर्श-2 में काश्तकार नारायणी दर्ज होने, खतौनी सम्वत् 2014 प्रदर्श-3 में नारायणी बेवा खलके व कमल किशन 1/2, रामश्री 1/2 दर्ज होने और इसी प्रकार खसरा गिरदावरी प्रदर्श-4 में रामश्री व कमल किशन का नाम दर्ज होने व अन्य रेकार्ड का विवेचन करते हुये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मु0 नारायणी का नाम अंकन होने और वाद से पूर्व में विधवा नारायणी के नाम दर्ज होने से व अपीलार्थी द्वारा यह साबित नहीं कर पाने पर कि किन शर्तो पर शिकमी काश्त के लिए जमीन कितने समय के लिए ली थी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45-46 से बाधित होने के कारण विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के तथ्यों की पुष्टि करते हुये अपील

खारिज की है। अपीलार्थी स्वयं ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह उल्लेख किया है कि विवादित आराजी की खातेदारी मु0 नारायणी के नाम थी जो बेवा थी और बेवा की जमीन किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती, यह कानूनी प्रावधान है। विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष समवर्ती हैं और समवर्ती निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कानून की अवहेलना हो रही हो। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों में कोई अवैधता, अनियमितता नहीं है जो विधिसम्मत हैं और उनके निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार भी नहीं है। अपील खारिज योग्य है।

10- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 112/2000 शीर्षक शिवचरन लाल रामश्री में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13-01-2005 एवं सहायक कलक्टर, धौलपुर मुख्यालय राजाखेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-7-2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष